

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान तेजेंद्र सिंह बनाम धवलेंद्र सिंह आदि

प्रकरण संख्या 78 / 2023 अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी
5 ² / ₂₅	<p>वादी व वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं। वादी व वादी अधिवक्ता को रुक-रुक कर 3 बार भावाव्युक्त लगावाइ गई कोई उपस्थित नहीं आया। वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 RTA अदम्य पेशवी, अदम्य क्षमता में खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय होकर नम्बर से कम होकर दाखिल फिल्टर हो</p>	



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर